A-6/1

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी — अक्षय गोदारा, आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं. 12/अपील/2019 (GCMS No. 2019/00034)	02.01.2019	04.03.2024

श्रीमती सीमा जिन्दल पत्नी श्री संतोष जिन्दल,
उचित मूल्य दुकानदार, वार्ड नं. 10 नगर परिषद बून्दी
निवासी सब्जीमण्डी के पीछे बून्दी, जिला बून्दी (राज0)
— अपीलांट

बनाम

1.राजस्थान राज्य जरिये जिला रसद अधिकारी, बून्दी
2.राजस्थान राज्य जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, बून्दी
— रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय जिला रसद अधिकारी, बून्दी
निर्णय दिनांक 27.11.18 प्रकरण संख्या 125/2018

उपस्थितः—
1. अपीलांट की ओर से श्री प्रमोद बाकलीवाल, एडवोकेट ।
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से पेरोकार सरकार (रसद) ।

:: निर्णय ::

अपीलांट ने यह अपील जिला रसद अधिकारी, बून्दी द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.12.2018 से व्यथित होकर अन्तर्गत धारा 15(3) सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 इस न्यायालय में संस्थित की है। अपीलाधीन आदेश द्वारा अपीलांट को जारी प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है, जिसे बहाल करवाये जाने का निवेदन किया गया।

अपील प्रस्तुत होने पर क्रमांक 12/2019 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS No. 2019/00034 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। रेस्पो0 जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। जिला रसद अधिकारी बून्दी के पत्र दिनांक 09.11.2021 से मूल पत्रावली प्राप्त हुई।

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर; बून्दी

तत्पश्चात बहस उभय पक्षकारान सुनी गई।

अपीलांट के अभिभाषक ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए व्यक्त किया कि अपीलांट को जिला रसद अधिकारी बून्दी द्वारा दिनांक 04.10.1995 को नगरपालिका क्षेत्र बून्दी वार्ड संख्या 19 (1/2 भाग) वर्तमान वार्ड संख्या 10 के संबंध में प्राधिकार पत्र संख्या 586/खुदरा/95 उचित मूल्य दुकानदार के संबंध में जारी किया था, जो तत्समय खाद्य पदार्थ गेहू एवं केरोसीन, चीनी आदि वस्तुओं के वितरण हेतु बतौर उचित मूल्य दुकानदार जारी किया गया था। इस संबंध में विभाग द्वारा पूर्व में जारी शुदा प्राधिकार पत्र संख्या 586/खुदरा/95 में वार्ड संख्या 10 के संबंध में उचित मूल्य दुकानदार के रूप में विलोपित कर केवल मात्र विद्यार्थियों को अनुदानित केरोसीन वितरण किये जाने के लिए दिनांक 11.03.2014 को आज्ञा जारी की गई। उक्तानुसार प्राधिकार पत्र में संशोधन की प्रविष्टि की गई। रेस्पो.सं. 1 द्वारा कार्यालय आदेश दिनांक 16.10.202018 तथा कारण बताओं नोटिस दिनांक 18.10.2018 अपीलांट को प्रेषित कराया गया, जो अपीलांट पर दिनांक 28.10.2018 को तामील हुआ, जिसमें अपीलांट से बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण चाहा गया। अपीलांट द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड डाक दिनांक 01.11.2018 को वांछित सभी बिन्दुओं पर पूर्ण रूप से तथ्य व कथन अंकित करते हुये जवाब प्रेषित किया गया, उक्त प्रत्युत्तर जर्ये रजिस्टर्ड डाक रेस्पो.सं. 1 को दिनांक 05.11.18 को प्राप्त हो गया। तत्पश्चात रेस्पो.सं. 1 द्वारा अपीलांट को पुनः नोटिस कमांक रसद/2018/2924 दिनांक 05.11.2018 प्रेषित कराया गया, जिसमें वांछित बिन्दुओं पर अपीलांट द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने का कथन अंकित किया जाकर जवाब तलब किया गया। इस पर अपीलांट द्वारा दिनांक 13.11.2018 को पुनः जर्ये रजिस्टर्ड डाक से तथा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर भी लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए पूर्व में उसके द्वारा दिये गये जवाब के बारे में तथ्य अंकित किया गया। रेस्पो.सं. 1 द्वारा दिनांक 13.11.2018 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु दिनांक 27.11.2018 की तारीख पेशी प्रदान की गई। जिसकी पालना में अपीलांट द्वारा दिनांक 27.11.2018 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु कार्यालय जिला रसद अधिकारी बून्दी में उपस्थित होकर पूर्व में प्रेषित प्रत्युत्तरों एवं संलग्न दस्तावेजी साक्ष्य, उपलब्ध रिकार्ड व प्रपत्रों पर गौर कर युक्तियुक्त आदेश पारित किये जाने का अनुरोध किया गया। फिर भी दिनांक 27.11.2018 को रेस्पो.सं. 1 द्वारा आदेश कमांक रसद/प्राधि/18 दिनांक 27.11.2018 प्रदान करते हुये प्राधिकार पत्र संख्या 586/खुदरा/95 तत्काल प्रभाव से निरस्त किये जाने सहित जमा शुदा सम्पूर्ण प्रतिभूति राशि भी जब्त सरकार किये जाने के आदेश प्रदान किये गये। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त गैर कानूनी आदेश से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर; बून्दी

अभिभाषक अपीलांट द्वारा बहस में आगे कथन किया कि रेस्पो.सं.1 द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 27.11.2018 में अपीलांट द्वारा लिखित प्रत्युत्तरों तथा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों के संबंध में किसी प्रकार का न तो कोई निष्कर्ष प्रदान किया और न ही सम्पूर्ण आदेश के पठन से ऐसा प्रतीत हुआ कि रेस्पो.सं.1 द्वारा उक्त निर्णय पारित किये जाने से पूर्व प्रस्तुत दस्तावेजों के संबंध में न्यायिक मस्तिष्क का उपयोग किया गया हो। इसके अभाव में आक्षेपित आदेश कानून सम्मत नहीं होने से रद्द किये जाने योग्य है। व्यक्तिगत सुनवाई दिनांक 27.11.2018 को ही बिना प्रत्युत्तरों के कथनों, राज्य सरकार एवं विभाग द्वारा जारी निर्देशों तथा महत्वपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों के संबंध में समग्र विश्लेषण किये बिना जल्दबाजी में आदेश पारित किया गया। प्रकरण में तथाकथित रूप से विद्यार्थियों को अनुदानित केरोसीन वितरण के संबंध में केरोसीन थोक डीलरों से अवैध रूप से आपूर्ति प्राप्त किये जाने का तथ्य प्रमाणित नहीं होने के बावजूद भी रेस्पो. सं.1 द्वारा इस तथ्य को अपने निर्णय का आधार बनाये जाने में विधिक त्रुटि की है। रेस्पो.सं.1 द्वारा प्रकरण में रिकार्ड संधारण के संबंध में अनियमितता बरते जाने हेतु अपीलांट को उत्तरदायी ठहराया है। व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान रिकार्ड संधारण के संबंध में 1 वर्ष की अवधि तक के ही रिकार्ड उचित मूल्य दुकानदार द्वारा रखे जाने के संबंध में राज्य सरकार एवं विभाग के लिखित निर्देश होने के संबंध में ध्यान आकर्षित कराये जाने के बावजूद रेस्पो. सं. 1 द्वारा इस संबंध में अनियमितता बरते जाने को आधार बनाने में कानूनी भूल की है। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि विद्यार्थियों को अनुदानित केरोसीन वितरण व्यवस्था का दिनांक 23.04.2015 को बंद कर दिया जाने का तथ्य अंकित किया गया जबकि ऐसे बंद किये जाने के संबंध में सम्पूर्ण बून्दी जिले में किसी भी उचित मूल्य दुकानदार को आज तक लिखित रूप से कोई आदेश नहीं दिया गया। रोचक स्थिति यह है कि वर्ष 2015 के बाद से रेस्पो. सं.1 द्वारा लगातार रोस्टर (विद्यार्थियों को अनुदानित केरोसीन की मद में) जारी किये जा रहे है। जिनमें थोक विक्रेताओं को उचित मूल्य दुकानदारों को इस व्यवस्था के अनुरूप केरोसीन उपलब्ध कराये जाने के संबंध में आदेशित किया गया है। इस प्रकार रेस्पो.सं.1 द्वारा जानबूझकर तथा तथाकथित बंद किये जाने के आदेशों की अवज्ञा कर विद्यार्थियों को अनुदानित केरोसीन व्यवस्था को जारी रखा गया। अपीलांट की आपत्ति को रेस्पो.सं.1 द्वारा प्रदान किये गये आपेक्षित आदेश में जान बूझकर अनुत्तरित रखा गया, जो कानून के सिद्धान्तों को विपरीत होने के कारण रद्द किये जाने योग्य है। रेस्पो.सं.1 द्वारा निर्देश दिये जाने पर प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा अपीलांट के विरूद्ध दिनांक 13.10.2018 को पुलिस थाना कोतवाली बून्दी में तथाकथित आपराधिक कृत्यों के संबंध में प्राथमिकी संख्या 434/2018 अपराध अन्तर्गत धारा 3, 7 व 8 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 दर्ज करवा दी। जिसमें असंगत एवं विरोधाभासी तथ्य अंकित किये गये है। पुलिस द्वारा दर्ज फौजदारी प्रकरण में

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

ला कलेक्टर; बून्दी

न्यायालय द्वारा उभय पक्षकारान की साक्ष्य लेखबद्ध किये बिना एवं न्यायालय द्वारा इस संबंध में कोई निर्णय पारित किये जाने के पूर्व ही आनन फानन में रेस्पो.सं.1 द्वारा उक्त आदेश प्रदान किये जाने में भारी कानूनी भूल की है, क्योंकि न्यायालय के निष्कर्ष प्रदान कर निर्णय पारित किये जाने से पूर्व ही रेस्पो.सं.1 द्वारा समानान्तर कार्यवाही करते हुये आपेक्षित आदेश कर दिया गया। रेस्पो.सं.1 द्वारा आपेक्षित आदेश की कार्यवाही बदले की भावना से तथा अपीलांट को सबक सिखाने की नीयत से की गई है। रेस्पो.सं.1 द्वारा आपराधिक उत्तरदायित्व से बचने के लिए दिनांक 13.10.2018 को प्राथमिकी संख्या 424/2018 अपराध अन्तर्गत धारा 353, 342 ता0हि0 थाना कोतवाली बून्दी में दर्ज करवाई गई। इस प्राथमिकी में भी अपीलांट के पति श्री संतोष जिन्दल को अन्य उचित मूल्य दुकानदारों सहित बतौर अभियुक्त नामजद किया गया। इस प्रकरण का अनुसंधान वर्तमान में विचाराधीन है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपील स्वीकार फरमायी जाकर आपेक्षित आदेश एवं निर्णय दिनांक 27.11.2018 को रद्द फरमाया जाकर पूर्व में जारी प्राधिकार पत्र सं. 586/खुदरा/95 को बदस्तुर बहाल फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

पेरोकार सरकार (रसद) ने बहस के दोरान अपने तर्क प्रस्तुत करते हुए व्यक्त किया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली अन्तर्गत बूदी शहर में विद्यार्थियों को केरोसीन वितरण करने हेतु उचित मूल्य दुकानदार वार्ड नं.10 नगरपरिषद् बून्दी श्रीमती सीमा जिन्दल पत्नी श्री संतोष जिन्दल को जारी प्राधिकार पत्र सं. 586/खुदरा/95 पर माह अप्रेल 2015 से जून 2017 तक कुल आपूर्ति किया गया केरोसीन मात्रा 98,600 लीटर में से डीलर द्वारा केवल 591 लीटर अनुदानित केरोसीन तेल ही पॉस मशीन कोड संख्या 8495 से वितरण किया गया है जो नियमानुसार वैध है। इसके अतिरिक्त अप्रेल 2015 से जून 2017 तक जिले के केरोसीन थोक विक्रेताओं द्वारा आपूर्ति किया गया कुल 98600 लीटर अनुदानित केरोसीन में से 98,009 लीटर अनुदानित केरोसीन तेल श्रीमती सीमा जिन्दल द्वारा विभागीय अधिसूचना दिनांक 01.04.2015 व विभागीय आदेश दिनांक 28.03.2015, 05.08.2016 व 29.09.2016 का स्पष्ट उल्लंघन कर उक्त केरोसीन कालाबाजारी क उच्च दरों पर बाजार में सीधे ही बिक्री कर दिया गया है। चूंकि न तो डीलर को कार्यालय द्वारा दिनांक 14.03.2018 तक कोई पॉस मशीन आवंटित की गई एवं ना ही जिला रसद अधिकारी या जिले के अन्य किसी राशनकार्ड जारी करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड मुताबिक विद्यार्थियों हेतु कोई नवीन डिजिटाईज्ड राशनकार्ड अलग से जारी किए गए है। इससे स्पष्ट है कि श्रीमती सीमा जिन्दल द्वारा केरोसीन अवैध रूप से आवंटन करवाकर आवंटन के एवज में थोक विक्रेताओं से अनुदानित केरोसीन प्राप्त कर सीधे ही बाजार में कालाबाजारी में बिक्री कर दिया गया है।

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर; बून्दी

पेरोकार सरकार द्वारा बहस में आगे कथन किया कि विभागीय आदेश क्रमांक एफ.30(1)खा.वि./केरोसीन/10 दिनांक 02.12.2010 द्वारा छात्रों को केरोसीन वितरण करने के संबंध में जारी निर्देशों के मुताबिक वितरणकर्ता उचित मूल्य दुकानदार संबंधित संस्था प्रदान से लिखा प्रमाणपत्र की एक प्रति जिला रसद कार्यालय में प्रेषित करेगा, परन्तु श्रीमती सीमा जिन्दल द्वारा उक्त अवधि में किसी भी संस्था प्रधान से लिखा हुआ प्रमाण पत्र की प्रति जिला रसद कार्यालय में प्रेषित नहीं की गई और न ही व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान मांगने पर उपलब्ध कराई गई। जिससे स्पष्ट है कि डीलर व इनके पति द्वारा किसी भी विद्यार्थी को केरोसीन वितरण नहीं किया गया। श्रीमती सीमा जिन्दल को आवंटित उचित मूल्य दुकान पर केरोसीन आपूर्ति बिलों पर प्राप्ति हस्ताक्षर एवं वितरण कार्य श्री संतोष जिन्दल द्वारा कियाजाना पाया गया। श्री संतोष जिन्दल बून्दी जिला डीलर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष भी होना पाया गया। श्री जिन्दल राशन विक्रेता संघ का अध्यक्ष होने के नाते अपने पद का प्रभाव बनाकर अनाधिकृत रूप से विभागीय प्रावधानों के विपरित तत्कालीन जिला रसद अधिकारियों से केरोसीन की कालाबाजारी करने के लिए पत्र जारी करवाया गया है, जो प्राधिकार पत्र की शर्तो की अवहेलना करने की श्रेणी में आता है जिसके लिए अपीलांट दोषी है। श्रीमती सीमा जिन्दल द्वारा रसद कार्यालय में एक प्रार्थना पत्र दिनांक 21.12.2017 को प्रस्तुत कर प्रार्थिया की उचित मूल्य दुकान का संधारित विद्यार्थियों का स्टॉक व वितरण रिकार्ड खो जाने का वर्णन किया गया। डीलर द्वारा उक्त रिकार्ड गुमशुदी की मनगढंत रिपोर्ट पुलिस थाना कोतवाली बून्दी में नहीं कराकर ऑनलाईन केवल जिला रसद कार्यालय को गुमराह करने की नीयत से दर्ज कराई गई ताकि भविष्य में उक्त संदिग्ध अनुदानित केरोसीन पर कोई अधिकारी संशय नहीं कर सकें। श्रीमती सीमा जिन्दल व इनके पति श्री संतोष जिन्दल द्वारा माह अप्रेल,2015 से सितम्बर,2018 तक कुल 98009 लीटर अनुदानित केरोसीन की कालाबाजारी कर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के खण्ड II का बिन्दु सं. 3(2), 6 व 7 तथा खण्ड iv के बिन्दु सं. 20 व उक्त आदेश के तहत जारी प्राधिकार पत्र सं. 586/खुदरा/95 की शर्त सं. 5,6,7,11, 14, 15 व 17(क) व 17(ग) का स्पष्ट उल्लंघन करना पाया गया है। जिस कारण उक्त प्राधिकार पत्र तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया एवं अप्रार्थी की जमा सम्पूर्ण प्रतिभूति राशि जब्त सरकार किये जाने के आदेश प्रदान किये गये।राजस्थान जन मांग वसूली अधिनियम के तहत श्रीमती सीमा जिन्दल द्वारा कालाबाजारी किएगए अनुदानित केरोसीन मात्रा 98,009 लीटर की वर्तमान बाजार कीमत से राशि की गणना कर उक्त राशि निर्णय दिनांक से 18 प्रतिशत ब्याज सहित श्रीमती सीमा जिन्दल एवं इनके पति की चल–अचल सम्पत्ति से वसूल कर राजकोष में जमा कराने हेतु अभियोजन शाखा द्वारा कार्यवाही के आदेश प्रदान किये गये। पेरोकार सरकार द्वारा अपील अपीलांट खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर, बून्दी

न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर गहनता से मनन किया। जिससे जाहिर आया कि श्रीमती सीमा जिन्दल पत्नी श्री संतोष जिन्दल को जिला रसद अधिकारी, बून्दी द्वारा उचित मूल्य दुकान, वार्ड नं.10 नगर परिषद बून्दी के लिए प्राधिकार पत्र संख्या 586/खुदरा/1995 जारी किया हुआ था। जिला रसद अधिकारी बून्दी कारण बताओं नोटिस दिनांक 18.10.2018 जारी किया जाकर कार्यालय आदेश क्रमांक रसद/प्राधि./2018/2619–30 दिनांक 16.10.2018 के क्रम में बिन्दुवार जवाब जिला रसद कार्यालय में उपस्थित होकर 7 दिवस में लिखित में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। जिस पर अपीलांट की ओर से दिनांक 01.11.2018 को जवाब रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित किया गया जो दिनांक 12.11.18 को रसद कार्यालय को प्राप्त हुआ। प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन करने पर पाया गया कि जिला रसद कार्यालय द्वारा विद्यार्थियों को अनुदानित केरोसीन वितरण करने हेतु कोई नवीन डिजिटराईज्ड राशनकार्डो की सूची डीलर श्रीमती सीमा जिन्दल को उपलब्ध नहीं करवाई गई थी और न ही किसी विद्यालय/कालेज के छात्रों को केरोसीन वितरण करने हेतु सूची संस्था प्रधानों/उचित मूल्य दुकानदार श्रीमती सीमा जिन्दल द्वारा विभागीय निर्देशों के बावजूद रसद कार्यालय में प्रस्तुत की गई थी। इसके बावजूद डीलर द्वारा केरोसीन थोक विक्रेताओं से केरोसीन की अवैध रूप से आपूर्ति प्राप्त की जाती रही। केरोसीन वितरण का न तो कोई रिकार्ड संधारित किया गया और न ही विद्यार्थियों को केरोसीन वितरण किया गया। माह अप्रेल,2015 से जून 2017 तक डीलर से विद्यार्थियों को वितरण हेतु प्राप्त अनुदानित केरोसीन का स्टॉक व वितरण रजिस्टर चाहे गये, जो डीलर द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। वितरण हेतु आपूर्ति किये गये 98,000 लीटर केरोसीन में से उचित मूल्य दुकानदार द्वारा मात्र 591 लीटर केरोसीन ही नवीन अटेचमेंट वार्ड सं. 28–ा के उपभोक्ताओं को पॉस ट्रांजेक्शन के रूप में वितरण किया गया। इस प्रकार डीलर व इनके पति द्वारा सीधे तौर पर बाजार में कालाबाजारी करते हुए उच्च दामों में उक्त अनुदानित केरोसीन मात्रा 98,009 लीटर विद्यार्थियों को वितरण नहीं कर, बेचना सिद्ध होता है, जिसके लिए डीलर व इनके पति दोषी पाये गये। इसके खण्डन में तथा अन्य आक्षेपों के खण्डन में अपीलांट की ओर से ऐसे दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये गये, जिससे कि उक्त आक्षेपों को अस्वीकार किया जा सके। इस प्रकार राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के खण्ड ाा का बिन्दु सं. 3(2), 6, 7 तथा खण्ड iv के बिन्दु सं. 20 व उक्त आदेश के तहत जारी प्राधिकार पत्र सं.586/खुदरा/95 की शर्त सं.5,6,7,11,14,15,17(क) व 17(ग) का स्पष्ट उल्लंघन करना पाया गया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय है। जिस कारण उक्त प्राधिकार पत्र निरस्त किया जाकर अप्रार्थी की जमा सम्पूर्ण प्रतिभूति राशि जब्त सरकार किये जाने के प्रदान किये गये अपीलाधीन आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं पायी गयी।

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर; बून्दी

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं कानूनी प्रावधानों के अनुसार स्पष्ट है कि जिला रसद अधिकारी, बून्दी द्वारा जारी नोटिस का अपीलांट की ओर से पेश जवाब/प्रत्युत्तर युक्तियुक्त दस्तावेजी साक्ष्यों के अभाव में संतोषजनक नहीं पाया गया। इस न्यायालय में भी अपीलांट द्वारा ऐसे कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये गये, जिससे अपीलाधीन आदेश में वर्णित तथ्यों/आक्षेपों को असत्य प्रमाणित किया जा सके। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई उचित मूल्य दुकानदार कार्यालय रिकार्ड एवं अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की विभागीय निर्देशों एवं नियमों को मद्देनजर रखते हुये बिन्दुवार विवेचना की जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो उचित है। इसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। फलस्वरूप अपील अपीलान्ट सारहीन होने से ख़ारिज की जाती है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 04.03.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर बून्दी
जिला कलक्टर, बून्दी